पूनम वर्मा और अन्य।

बनाम

दिल्ली विकास प्राधिकरण

13 दिसम्बर 2007

[एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

शहरी विकास:

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957-एस.एस. 41 और 56-फ्लैटों के आवंटन के लिए 'आउट ऑफ टर्न कोटा' के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्देश-धारित की वैधता: केंद्र सरकार ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकती थी-उसके पास अधिनियम या योजना के तहत कोई कोटा नहीं था। 41 में परिकल्पना की गई है कि केंद्र सरकार अधिनियम के समुचित प्रशासन के साथ समन्वय करके निर्देश जारी कर सकती है, न कि फ्लैटों के आवंटन के मामले में Moreso, योजना बंद कर दी गई थी और उसके बाद इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। दिशानिर्देश प्रकृति में सलाहकारी होने के कारण कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते थे। साथ ही वैधता की अपेक्षा का सिद्धांत भी लागू नहीं किया जा सकता था। बिना क्षेत्राधिकार दिया गया निर्णय शुन्य है, प्रशासनिक कानून -वैध अपेक्षा।

प्रत्युतर दाता ने फ्लैटों के आवंटन के लिए 1982 स्व-वित्तपोषण पंजीकरण योजना शुरू की। अपीलकर्ताओं ने योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया, लेकिन फ्लैट प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। योजना बंद कर दी गई। इसके बाद, अधिक फ्लैट जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई और असफल पंजीकरणकर्ताओं को आवेदन करने का मौका दिया गया। अपीलकर्ताओं ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, हालांकि, उन्हें श्रेणी III में फ्लैट आवंटित किए गए थे। अपीलकर्ताओं ने भुगतान नहीं किया जबकि उन्होंने उनके नाम VI और VIA योजनाओं में उनके नाम शामिल करने का दावा किया। प्रत्युतर ने दावे को खारिज कर दिया। पीड़ित अपीलकर्ताओं ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार के आधार पर उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज की। मुकदमेबाजी के पहले दौर में वे असफल रहे। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने शहरी मामलों के मंत्रालय से संपर्क किया। संयुक्त सचिव (डी एंड एल) ने डीडीए के उपाध्यक्ष को संबोधित पत्र दिनांक 24.08.2000 द्वारा निर्देश दिया कि डीडीए के वीसी लंबित पंजीकरणकर्ताओं (तीन की संख्या में) के मामले को आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट कोटा के तहत कवर करेंगे, क्योंकि यह कठिन मामले हैं और फ्लैट आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी। फ्लैट उपलब्ध होने के बावजूद मंत्रालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. राज्य आयोग के समक्ष अपीलकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने लोक अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया। लोक

अदालत ने माना कि डीडीए ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि एसएफएस योजना निष्क्रिय हो गई थी और ओटीए की योजना अब अस्तित्व में नहीं थी और इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को उचित मंच पर जाने का निर्देश दिया गया। उसके खिलाफ दोनों रिट याचिकाएं और लेटर पेटेंट अपीलें खारिज कर दी गईं। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायलय ने अपील खारिज करते हुए

निर्णित:

1.1. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 41 में केवल यह परिकल्पना की गई है कि प्रतिवादी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं। यह नीतिगत निर्णय के बारे में बताता है। जारी किए गए किसी भी निर्देश का अधिनियम के कुशल प्रशासन के साथ संबंध होना चाहिए। यह किसी विशेष योजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन के मामले में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए जा सकने वाले आदेश को अपने दायरे में नहीं लेता है।

[पैरा12] [560-G; 561-A, B]

1.2. केंद्र सरकार के पास अधिनियम के तहत कोई कोटा नहीं है। योजना के तहत इसका कोई कोटा नहीं था। केंद्र सरकार को इस मामले में

स्वयं या अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं था। ब्रोशर के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 41 केंद्र सरकार को इस तरह का निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं देती है।

[पैरा 13 and 14] [561-B, D, E]

1.3. यह दलील कि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 56 के तहत नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त निर्देश जारी कर सकती है, पूरी तरह से गलत है। दिनांक 24.08.2000 को पत्र जारी करते समय, केंद्र सरकार ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं किया और न ही ऐसा कर सकी। धारा 41 के अलावा अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं थी और इस प्रकार, वह इसके संदर्भ में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती थी। यदि अधिनियम की धारा 41 या उस मामले में धारा 56(2)(आर) लागू नहीं होती, तो सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में कोई भी निर्देश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता।

[पैरा 15 and 16] [561-E, F, GI]

एम गंगाधरन और अन्य. बनाम केरल राज्यऔर अन्य. [2006] एस सी सी 162, विशिष्ट

1.4. केंद्र सरकार सहित अधिनियम के तहत सभी प्राधिकारी क़ानून के अधीन होने के कारण इसके चारों कोनों के भीतर कार्य करने के लिए

बाध्य थे। अपीलकर्ताओं द्वारा एक विशिष्ट शिकायत उठाई गई थी कि प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई अनुचित व्यापार थी और सेवा में कमी थी। वही नकारात्मक कर दिया गया था। प्रर्याप्त क्षेत्राधिकार वाली अदालतों ने न तो अनुचित व्यापार पाया और न ही सेवा में कमी पाई और इस मामले को देखते हुए, केंद्र सरकार को आम तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अपीलकर्ताओं ने प्रशासनिक स्तर पर उपायों का सहारा लिया जो उपलब्ध नहीं थे।

[पैरा19 and 20] [562-B, C, D]

1.5. प्रतिवादी के कुछ अधिकारी स्वयं ऐसी योजना विकसित नहीं कर सकते थे जो अधिनियम के परिधि और दायरे से परे हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य होने के नाते प्रतिवादी अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिक योजना को पूरा करने के लिए बाध्य है। जून, 2000 में जारी एक निर्देश के आधार पर केंद्र सरकार ने स्वयं प्राधिकरण को 'आउट ऑफ टर्न आवंटन' कोटा केवल उन सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं तक ही सीमित रखने का निर्देश दिया था जो काम के दौरान मर जाते हैं और जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। यह सुझाव देना बेतुका होगा कि केंद्र सरकार अपने घोषित नीतिगत निर्णय से परे जाकर कार्य कर सकती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार ने अवैध रूप से और बिना अधिकार क्षेत्र के यह निर्णय लेने का प्रयास किया कि कठिन

मामलों को 'आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट' कोटा के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी। ब्रोशर का पालन करने का दावा करने के बाद जिसमें आरक्षण की नीति शामिल थी, केंद्र सरकार किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में किसी भी कोटा के निर्माण का निर्देश नहीं दे सकती थी और वह भी योजना बंद होने के बाद। बंद होने के बाद योजना को पुनर्जीवित भी नहीं किया जा सका। इस तरह का कथित निर्णय बिना अधिकार क्षेत्र के होने के कारण शुन्य है।

रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य, एआईआर (1979) एससी 1.628 और हरजीत सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य, (2007) 3 स्केल 553, पर निर्भर।

विटारेल्ली बनाम सीटन, 359 यूएस 535 का उल्लेख है।

1.6. दिशानिर्देश स्वयं क़ानून के गुण में शामिल नहीं होते हैं। वैधानिक पृष्ठभूमि के अभाव में ऐसे दिशानिर्देश प्रकृति में सलाहकारी होते हैं। दिशानिर्देश अपने आप में सलाहकारी होने के कारण कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

पी.एम. अश्वथनारायण शेट्टी और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एआईआर (1989) एससी 100 और हिमाचल प्रदेश राज्य और

अन्य। बनाम कैलाश चंद महाजन और अन्य, [1992] सप्लिमेंट 2 एससीसी 351, प्रतिष्ठित।

नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1989) एससी 2138; नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य, [1990] (सप्लीमेंट) एससीसी 440; महाराव साहब श्री भीम सिंहजी बनाम भारत संघ और अन्य, [1981] 1 एससीसी 166; जे.आर. रघुपति और अन्य। बनाम एपी राज्य और अन्य, [1988] 4 एससीसी 464 और उत्तम प्रकाश बंसल और अन्य। वी. एल.आई.सी. भारत का, (2002) (100) डीएलटी 487, संदर्भित।

1.7. वैध अपेक्षा का सिद्धांत तभी लागू होगा जब कोई प्रथा प्रचलित पाई जाएगी। इसकी एक सकारात्मक अवधारणा है. लेकिन, इस प्रकृति के मामले में जहां कथित अपेक्षा एक अवैध और असंवैधानिक आदेश पर आधारित है, यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि इसे ऐसे आदेश पर स्थापित नहीं किया जा सकता है जो स्वयं अवैध और बिना आधार के है।

[पैरा 27] [564-G, H; 565-A]

राम प्रवेश सिंह एवं अन्य। बनाम बिहार राज्य और अन्य, [2006] 8 एससीसी 381; जे.पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य, [2003] 5 एससीसी 134: (2003) 3 स्केल 154 और भारत संघ बनाम के.पी. जोसेफ और अन्य, [1973] 1 एससीसी 194: एआईआर (1973) एससी 303, संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5874/2007

2005 की सिविल रिट संख्या 19633-35 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.4.2006 और 20.3.2006 के साथ दिनांक 18.08.2006 के अंतिम निर्णय से।

पूनम वर्मा अपीलकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।

प्रतिवादी की ओर से अश्वनी कुमार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. प्रतिवादी दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत बनाया गया एक प्राधिकरण है। यह अधिनियम योजना के अनुसार दिल्ली के विकास और उससे जुड़े या सहायक मामलों के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

प्रतिवादी ने एक योजना शुरू की जिसे पांचवीं स्व-वित्तपोषण आवास पंजीकरण योजना, 1982 (संक्षेप में "योजना") के रूप में जाना जाता है। अपीलकर्ताओं ने इस संबंध में जारी एक विज्ञापन के अनुसार खुद को पंजीकृत किया; उनकी पंजीकरण संख्या 13463, 16602 और 13464 है। फ्लैटों के आवंटन के उद्देश्य से, जून, 1987, नवंबर, 1987, मार्च, 1989, जुलाई, 1990, जनवरी, 1991, जनवरी 1993 जैसे विभिन्न अवसरों पर

लॉट निकाले गए। अपीलकर्ता इसमें सफल नहीं रहे और इस प्रकार, अपनी पसंद के इलाके में फ्लैट पाने में असमर्थ रहे। योजना बंद कर दी गई। हालाँकि, उन लोगों को मौका देने की दृष्टि से जो पहले के मौकों पर लॉटरी में सफल नहीं हुए थे, लगभग 3000 फ्लैटों को जारी करने के लिए 8.12.1993 को कुछ समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें कुछ निर्मित और तैयार फ्लैट शामिल थे। कोंडली-घरोली में स्थित है। योजना के तहत पंजीकरणकर्ता इसके लिए आवेदन करने के हकदार थे। सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उक्त योजना के पंजीकरणकर्ता जिन्होंने उस विज्ञप्ति में आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया था, वे आवंटन के लिए दोबारा आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आगे कहा गया कि यदि 5 वें SFS के पंजीकरणकर्ताओं ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया या यदि उन्होंने सफल होने के बाद आवंटन सरेंडर कर दिया, तो उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया माना जाएगा और उनके पंजीकरण धन को वापस करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. अपीलकर्ताओं ने उक्त नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद कथित तौर पर उन्हें श्रेणी-III के फ्लैट आवंटित कर दिए गए। उनसे निर्दिष्ट मूल्य का भुगतान करने और उसकी डिलीवरी लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया. उन्होंने अपना नाम बाद में जारी की

गई VI और VI-A स्व-वित्तपोषण योजनाओं में शामिल करने के लिए कहा। प्रतिवादी इससे सहमत नहीं था.

4. अपीलकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता विवाद निवारण जिला फोरम- II के समक्ष 16.01.1995 को या इसके आसपास एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी को यह निर्देश दिया गया था कि उनका पंजीकरण रद्द नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें भविष्य के ड्रा में विचार किया जाना चाहिए। जब तक उन्हें उनकी पसंद के इलाके में फ्लैट आवंटित नहीं किया जा सके। दिनांक 24.07.1995 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, उक्त आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दी गई थी कि ड्रॉ की प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन के लिए अपीलकर्ताओं के मामलों पर विचार न करने की प्रतिवादी की कार्रवाई एकतरफा होने के अलावा अनुचित व्यापार व्यवहार की तरह थी। इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर की और दिनांक 30.11.1998 के एक आदेश द्वारा उक्त अपील की अनुमति दी और जिला फोरम के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान, उन्होंने अपना मामला 'कोर्ट से बाहर निपटान समिति' के समक्ष रखने के लिए प्रतिवादी के वित्त सदस्य और अध्यक्ष से संपर्क किया। दिनांक

25.11.1999 के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ ब्रोशर के खंड 16 पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "डीडीए किसी भी समय योजना को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है"। इसके विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

5. हालाँकि अपीलकर्ता न्यायालय से अपने पक्ष में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, उन्होंने 1997 में शहरी मामलों के मंत्रालय से संपर्क करने का इरादा किया। उन्होंने कुछ अभ्यावेदन दिए। कथित तौर पर, संयुक्त सचिव (डी एंड एल) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को संबोधित दिनांक 24.08.2000 के एक पत्र के माध्यम से निम्नानुसार निर्देशित किया:

> "मुझे उपरोक्त विषय पर तत्कालीन आयुक्त (आवास) श्री अरविंद कुमार के दिनांक 15 मई, 2000 के डी.ओ. पत्र संख्या एफ.1 (विविध) 5 वें एसएफएस और आगे/2000/एसएफएस का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। और यह बताने के लिए कि 5 वीं और उसके बाद की स्व-वित्तपोषण योजनाओं के छूटे हुए पंजीकरणकर्ताओं को एक और अवसर देने से संबंधित मामले पर कुछ समय

पहले डीडीए के वीसी के साथ यूडीएम के चैंबर में चर्चा की गई थी। चर्चा के बाद, इस पर सहमति बनी कि सामान्य योजना, वीसी, डीडीए लंबित याचिकाकर्ताओं को कवर करेगी, विशेष रूप से, ओटीए कोटा के तहत कठिन मामले। VC, डीडीए द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि ऐसे केवल तीन मामले हैं। इसलिए, अनुरोध है कि आवंटन के लिए आगे की कार्रवाई की जाए कृपया इन तीन याचिकाकर्ताओं को फ्लैट दिए जाएं और मामले में की गई कार्रवाई के बारे में उचित समय पर इस मंत्रालय को सूचित किया जाए।"

6. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से फिर संपर्क किया गया। अपीलकर्ताओं का आवेदन खारिज कर दिया गया। फ्लैट की उपलब्धता के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर उनके द्वारा स्थायी लोक अदालत के समक्ष एक और आवेदन दायर किया गया था। दिनांक 6.09.2005 के एक आदेश द्वारा, लोक अदालत ने कहा:

"12.4.2005 को, लोक अदालत ने सिफारिश की थी कि याचिकाकर्ता का मामला एक कठिन मामला है और याचिकाकर्ता के मामले को सामान्य योजना के बजाय आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट कोटा के तहत माना जाना चाहिए, खासकर जब केवल तीन मामले बचे हों। इस संबंध में शहरी

विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री के दिनांक 24.8.2005 के पत्र का उल्लेख है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डीडीए के उपाध्यक्ष के अनुसार ऐसे केवल तीन मामले बचे हैं और ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का मामला एक कठिन मामला होने के कारण ओटीए कोटा के तहत कवर किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को डीडीए ने संभवतः इस कारण से स्वीकार नहीं किया है कि एसएफएस की योजना जिसके तहत याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था वह निष्क्रिय हो गई थी। कोटा के तहत ओटीए की योजना भी अब लागू नहीं है इस प्रकार याचिकाकर्ता के मामले को इस श्रेणी के तहत नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता को इस श्रेणी के तहत नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता को एक फ्लैट आवंटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो फ्लैट खाली पड़े हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने डीडीए के लिए आवेदन किया है, उनका विलय हो चुका है। उच्च आय वर्ग वाले फ्लैट। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त परिस्थितियों में डीडीए ने याचिकाकर्ता को इस तरह के आवंटन का विरोध किया है। पक्षों के बीच कोई बैठक का अवसर नहीं है, मामला अनसुलझा मानकर बंद कर दिया गया है। यदि याचिकाकर्ता को सलाह दी गई है तो वह अपनी शिकायतों के निवारण के

लिए उचित फोरम/न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।"

7. इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई जिसे 2005 की सिविल रिट संख्या 19633-35 के रूप में चिह्नित किया गया था। दिनांक 20.03.2006 के एक आदेश द्वारा, उक्त याचिका खारिज कर दी गई थी। 2006 के एलपीए नंबर 652-654 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा उसके खिलाफ दायर पेटेंट अपील को भी दिनांक 25.04.2006 के फैसले के कारण खारिज कर दिया गया है। इसके खिलाफ दायर एक पूर्नावलोकन आवेदन भी खारिज कर दिया गया है।

8. श्री राम प्रकाश, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, इस अपील के समर्थन में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत करेंगे:

(i) जैसा कि ब्रोशर में आरक्षण की नीति प्रदान की गई थी, उच्च न्यायालय ने यह राय देकर गंभीर अवैधता की कि दिनांक 24.08.2000 के उक्त पत्र के संदर्भ में उनके पक्ष में कोई कानूनी अधिकार अर्जित नहीं हुआ।

(ii) केंद्र सरकार, अधिनियम की धारा 56(2)(आर) के साथ पठित धारा 41 को ध्यान में रखते हुए, तीन अपीलकर्ताओं के मामलों को ध्यान

में रखते हुए 'आउट ऑफ टर्न कोटा' से फ्लैटों के आवंटन का निर्देश दे सकती है। संख्या, कठिन मामलों की श्रेणी में आती है।

(iii) इस प्रकृति की स्थिति में केंद्र सरकार छूटे हुए पंजीकरणकर्ताओं के लिए एक योजना बनाने की हकदार थी। प्रतिवादी के अधिकारियों ने शहरी विकास मंत्री के साथ बैठक में भाग लिया था, जिसके अनुसार दिनांक 24.08.2000 को उक्त पत्र जारी किया गया था, प्रतिवादी वैध अपेक्षा और प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांतों के मद्देनजर इसे लागू करने के लिए बाध्य था।

(iv) चूंकि बड़ी संख्या में फ्लैट खाली थे, जैसा कि फ्लैटों के आवंटन के कारण प्रतिवादी के उपाध्यक्ष द्वारा 8.11.2002 को दिए गए बयान से पता चलता है, किसी और को पूर्वाग्रह नहीं होगा।

9. दूसरी ओर, प्रतिनिधि विद्वान वकील श्री अश्विनी कुमार ने प्रस्तुत किया:

(i) अपीलकर्ता के पास के फ्लैटों को प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

(ii) वे 1994 में राशि जमा करने में असफल, अब उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत बनाए गए मंचों के अनुरूप उनके

प्रयास के बावजूद न्यायसंगत अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकी है।

10. निर्विवाद रूप से यह एक स्वतंत्र योजना थी, यह एक स्व-वित्तपोषित आवास पंजीकरण योजना थी। अन्य समान योजनाएं भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र थीं। उक्त योजना को लागू करने के लिए ब्रोशर द्वारा एक स्व-निहित पुस्तक जारी की गई है। यह फ्लैटों को किराए पर लेने के तरीके और तरीके, उनके प्लॉट की श्रेणियां, भुगतान के तरीके और उन्हें रद्द करने का भी प्रस्ताव है। इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता ड्रा के कारण फ्लैट प्राप्त करना सफल नहीं हुआ और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने प्रतिवादी जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया, उन मामलों पर वर्ष 1994 में विचार नहीं किया गया था। किस आधार पर, हमें नहीं पता, उनके हिस्से में फ्लैट दिए गए थे। यूएससी नकद जमा करने को कहा गया. उन्होंने ऐसा नहीं किया. दूसरी ओर, उन्होंने VI और VI-A नामांकन में अपना पंजीकरण फिर से जारी रखने का पूरी तरह से अस्थिर दावा किया।

11. हमने यहां पहले देखा कि प्रतिवादियों की ओर से उनके दावे के आधार पर कि सेवा की कमी और/या अनुचित व्यापार व्यवहार को उच्च मंच द्वारा खारिज कर दिया गया था। ऑटोमोबाइल के पहले राउंड में वे इस कोर्ट तक अपनी लड़ाई हार गए।

12. आपके पास कोई भी कानूनी अधिकार स्थापित होना और प्रतिवादी की ओर से पहले सेवाओं में कथित कमी होना। सक्षम कानूनों पर, उन्होंने समर्थ कानूनी मंचों पर उन उपायों का सहारा लिया जो सख्त समझ में उपलब्ध नहीं थे। इसमें यह नहीं दिखाया गया है कि केंद्र सरकार किस आधार पर प्रतिवादियों के हितों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। अधिनियम की धारा 41 में केवल यही परिकल्पना दी गई है कि जो अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किया जा सकता है। यह फ्लैटों के स्वामित्व के मामले में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत जा सकने वाले आदेश को अपने खाते में नहीं लेता है। धारा 41 नीतिगत निर्णय के बारे में बताएं। कोई दिशा। जारी किए गए आदेश का अधिनियम के कुशल प्रशासन के साथ संबंध होना चाहिए। इसमें किसी विशेष योजना के संबंध में प्राधिकरण की मंजूरी को क्रियान्वित करने से कोई लेना-देना नहीं है।

13. केंद्र सरकार के पास अधिनियम के तहत कोई कोटा नहीं है। योजना के तहत इसका कोई कोटा नहीं था। योजना के संदर्भ में परिकल्पित आरक्षण इस प्रकार थे:

a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 25% फ्लैट।

b) सांसदों के लिए 3% फ्लैट।

c) खेल, कला और संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाले व्यक्तियों के लिए 2% फ्लैट।

d) शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 1% फ्लैट।"

14. जाहिर है, केंद्र सरकार को इस मामले में खुद या अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं था। ब्रोशर के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 41 केंद्र सरकार को इस तरह का निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं देती है।

15. श्री राम प्रकाश का यह कहना कि केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 56 के तहत अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त निर्देश जारी कर सकती है, पूरी तरह से गलत है। उक्त पत्र जारी करने में केंद्र सरकार ने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं किया और न ही वह ऐसा कर सकती है। धारा 41 के अलावा अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं थी और इस प्रकार, वह इसके संदर्भ में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती थी।

16. यदि अधिनियम की धारा 41 या उस मामले के लिए धारा 56(2)(आर) लागू नहीं होती, तो सामान्य धारा अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में कोई भी निर्देश जारी करने का प्रश्न, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है राम प्रकाश जी नहीं उठाया।

17. म.प्र. गंगाधरन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, [2006] 6 एससीसी 162, जिस पर श्री राम प्रकाश द्वारा भरोसा रखा गया है, का तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है।

18. विचाराधीन योजना वर्ष 1994 में ही बंद कर दी गई थी। केंद्र सरकार के पास अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में या अन्यथा इसे पुनर्जीवित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

19. केंद्र सरकार सहित अधिनियम के तहत सभी प्राधिकारी क़ानून के अधीन होने के कारण इसके चारों कोनों के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य थे। यहां अपीलकर्ताओं द्वारा एक विशिष्ट शिकायत उठाई गई थी कि प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है। सेवा में कमी की भी गुहार लगाई गई। वही नकारात्मक कर दिया गया था. उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालतों ने न तो अनुचित व्यापार व्यवहार पाया और न ही सेवा में कमी पाई और इस मामले को देखते हुए, केंद्र सरकार को आम तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

20. दिनांक 24.08.2000 के कथित पत्र में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र कैसे ग्रहण किया।

21. प्रतिवादी के कुछ अधिकारी स्वयं ऐसी योजना विकसित नहीं कर सकते थे जो अधिनियम के दायरे और दायरे से परे हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य होने के नाते प्रतिवादी अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिक योजना को पूरा करने के लिए बाध्य है। यह, ब्रोशर में निहित प्रस्तावित योजना के पीछे जाकर, कोटा नहीं बना सका। इस तरह का कथित निर्णय पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण निरर्थक है। जून, 2000 में जारी एक निर्देश के आधार पर केंद्र सरकार ने स्वयं प्राधिकरण को 'आउट ऑफ टर्न आवंटन' कोटा केवल निम्नलिखित की विधवाओं तक ही सीमित रखने का निर्देश दिया:

(a) सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।

(b) जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे।

यह सुझाव देना बेतुका होगा कि केंद्र सरकार अपने घोषित नीतिगत निर्णय से परे जाकर कार्य कर सकती है।

22. इस प्रकार, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लेने के लिए अवैध रूप से और बिना अधिकार क्षेत्र के कार्य किया कि कठिन मामलों को 'आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट' कोटा के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी।

विटारेल्ली बनाम सीटन [359 यूएस 535] में न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने कहा:

"एक कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिनके आधार पर वह अपनी कार्रवाई का मूल्यांकन करने का दावा करती है... तदनुसार, यदि रोजगार से बर्खास्तगी एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, भले ही ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदार हो, उस प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए..... प्रशासनिक कानून का यह न्यायिक रूप से विकसित नियम अब मजबूती से स्थापित हो गया है और, अगर मैं जोड़ सकता हूं, तो सही है। जो प्रक्रियात्मक तलवार लेगा वह तलवार से नष्ट हो जाएगा।"

[रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य, एआईआर (1979) एससी 1628 [1979] 3 एससीसी 489, हरजीत सिंह और अन्य भी देखें। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (2007) 3 स्केल 553]

23. आरक्षण की नीति वाले ब्रोशर का पालन करने का दावा करने के बाद, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, केंद्र सरकार किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में किसी भी कोटा के निर्माण का निर्देश नहीं दे सकती है और वह भी योजना बंद होने के बाद। बंद होने के बाद योजना को पुनर्जीवित भी नहीं किया जा सका।

24. दिशानिर्देश स्वयं क़ानून के चरित्र में शामिल नहीं होते हैं। वैधानिक पृष्ठभूमि के अभाव में ऐसे दिशानिर्देश प्रकृति में सलाहकारी होते हैं। श्री राम प्रकाश ने स्वयं नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1989) एससी 2138 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है:

ऐसा इसलिए है क्योंकि दिशानिर्देश, अपने स्वभाव से, प्रत्यक्ष, अधीनस्थ या सहायक, कानून की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनकी भूमिका केवल एक सलाहकारी भूमिका है और उनका पालन न करना या उनसे विचलन आवश्यक है और यदि किसी विशेष तथ्य या कानून की स्थिति की परिस्थितियाँ इसकी गारंटी देती हैं तो यह स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है। न्यायिक नियंत्रण केवल वहीं होता है जहां विचलन में या तो मनमानी या भेदभाव शामिल होता है या इतना मौलिक होता है कि एक बुनियादी सार्वजनिक उद्देश्य को कमजोर कर देता है जिसके तहत दिशानिर्देश और क़ानून हैं जिसके तहत वे हैं जारी करने का उद्देश्य प्राप्त करना है।

[नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य भी देखें, [1990] सप्लिमेंट एससीसी 440 एट 508; महाराव साहब श्री भीम सिंहजी बनाम भारत संघ और अन्य, [1981] 1 एससीसी 166 एट 232; जे.आर. रघुपति और अन्य। बनाम एपी राज्य और अन्य, [1988] 4 एससीसी 464

(पैराग्राफ 31) और उत्तम प्रकाश बंसल और अन्य। वी. एल.आई.सी. भारत का, (2002) 100 डीएलटी 487]

दिशा निर्देश अपने आप में परामर्शात्मक होने के कारण कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं।

25. पी.एम. पर भी भरोसा रखा गया है। अश्वथनारायण शेट्टी और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एआईआर (1989) एससी 100 इस प्रस्ताव के लिए कि राज्य किसी टालमटोल वाले कारण पर भरोसा नहीं कर सकता। हम यह समझने में असफल हैं कि कोर्ट फीस और सूट मूल्यांकन अधिनियम से संबंधित मामला, इस प्रकृति के मामले में मामले के भेदभावपूर्ण प्रभाव के संबंध में सिद्धांतों को लागू करने में कैसे सहायता करेगा।

26. श्री राम प्रकाश ने हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों पर भी भरोसा जताया है। बनाम कैलाश चंद महाजन और अन्य, [1992] सप्लिमेंट (2) एससीसी 351 जिसमें यह न्यायालय बिजली (आपूर्ति) अधिनियम के संदर्भ में बनाए गए विनियमन के तहत बनाई गई सेवाओं की वैधानिक शर्तों पर विचार कर रहा था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या नियुक्ति की अवधि किसी एक व्यक्ति तक सीमित की जा सकती है। उक्त निर्णय पर रखा गया भरोसा पूरी तरह से गलत है। एक उचित वर्गीकरण की अनुमति है, हालांकि एक वर्ग कानून

की अनुमति नहीं है, लेकिन उस मामले में इसका कोई उपयोग नहीं होगा जहां एक कार्यकारी आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया था और कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए कोटा निर्धारण से संबंधित संवैधानिक योजना के विपरीत था।

27. वैध अपेक्षा और वचन विबंध के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया है। वैध अपेक्षा का सिद्धांत तभी लागू होगा जब कोई प्रथा प्रचलित पाई जाएगी। इसकी एक सकारात्मक अवधारणा है. लेकिन, इस प्रकृति के मामले में जहां कथित अपेक्षा एक अवैध और असंवैधानिक आदेश पर आधारित है, यह पूरी तरह से लागू नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे आदेश पर स्थापित नहीं किया जा सकता है जो स्वयं अवैध और बिना आधार के है।

राम प्रवेश सिंह और अन्य मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भी मजबूत निर्भरता जताई गई है। बनाम बिहार राज्य और अन्य, [2006] 8 एससीसी 381 जिसमें इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने राय दी:

15. वैध अपेक्षा क्या है? जाहिर है, यह कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह एक लाभ, राहत या उपाय की अपेक्षा है, जो आम तौर पर एक वादे या स्थापित अभ्यास से उत्पन्न हो सकती है। "स्थापित अभ्यास" शब्द का तात्पर्य एक नियमित , निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का सुसंगत,

पूर्वानुमेय और निश्चित आचरण, प्रक्रिया या गतिविधि। अपेक्षा वैध, यानी उचित, तार्किक और वैध होनी चाहिए। कोई भी अपेक्षा जो छिटपुट या आकस्मिक या यादृच्छिक कृत्यों पर आधारित है, या जो अनुचित है , अतार्किक या अमान्य एक वैध अपेक्षा नहीं हो सकती है। अधिकार नहीं होने के कारण, यह लागू करने योग्य नहीं है। यह प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए अदालतों द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। यह उच्च की आवश्यकता के आधार पर चरित्र में प्रक्रियात्मक है किए गए वादे या स्थापित प्रथा के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता की डिग्री। संक्षेप में, किसी व्यक्ति को किसी विशेष उपचार की "वैध अपेक्षा" कहा जा सकता है, यदि कोई प्रतिनिधित्व या वादा किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, या तो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से, या यदि प्राधिकरण की नियमित और सुसंगत पिछली प्रथा सामान्य प्रक्रिया में ऐसी अपेक्षा के लिए जगह देती है। राहत के आधार के रूप में, सिद्धांत की प्रभावकारिता कमजोर है क्योंकि इसका स्लॉट "कार्रवाई में निष्पक्षता" से थोड़ा ऊपर है, लेकिन "प्रॉमिसरी एस्टोपेल" से काफी नीचे है। यह केवल एक उम्मीदकर्ता को हकदार बना सकता है: (ए) उम्मीद टूटने से पहले कारण बताने का अवसर; या (बी) इनकार के कारण के स्पष्टीकरण के लिए। उपयुक्त मामलों में, अदालतें प्राधिकारी को वादा की गई प्रक्रिया या स्थापित प्रथा का पालन करने के लिए निर्देश दे सकती हैं। एक वैध उम्मीद, भले ही पूरी हो गई हो, हमेशा उम्मीद करने वाले को राहत का हकदार नहीं बनाती है।

सार्वजनिक हित, नीति में परिवर्तन, प्रत्याशित का आचरण या निर्णय-निर्माता द्वारा दिया गया कोई अन्य वैध या प्रामाणिक कारण, "वैध अपेक्षा" को नकारात्मक करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। स्थापित प्रथा पर आधारित वैध अपेक्षा का सिद्धांत (वादे पर आधारित वैध अपेक्षा के विपरीत), केवल उस व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जिसका किसी प्राधिकारी के साथ लेन-देन या बातचीत होती है, जिस पर ऐसी स्थापित प्रथा का प्रभाव पड़ता है, या किसी के द्वारा जिसका प्राधिकरण के साथ मान्यता प्राप्त कानूनी संबंध है.

इस प्रकार, उक्त निर्णय अपीलकर्ताओं की सहायता करने के बजाय उनके तर्क के विपरीत है।

28. श्री राम प्रकाश ने जे.पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य, [2003] 5 एससीसी 134: 2003 (3) स्केल 154 पर भी मजबूत भरोसा जताया है। इसमें यह कहा गया है:

"संविधान के अनुसार कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। जब तक इस औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है तब तक कार्रवाई को राज्य की कार्रवाई नहीं माना जा सकता है। संवैधानिक रूप से कहा जाए तो मंत्रिपरिषद सलाहकार होते हैं

और राज्य के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह से कार्य करना होता है। इसलिए, जब तक सलाह राज्यपाल द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तब तक मंत्रिपरिषद के विचार कार्रवाई में मूर्त रूप नहीं ले पाते हैं राज्य..."

29. इसलिए, यह निर्णय इस प्रस्ताव के लिए एक अधिकार है कि कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

30. डिवीजन बेंच की टिप्पणी की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कि दिनांक 24.08.2000 के पत्र में शामिल संचार कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है, श्री राम प्रकाश का कहना है कि एक प्रशासनिक आदेश भी कानूनी अधिकार प्रदान कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा भारत संघ बनाम के.पी. मामले में कहा गया था। जोसेफ और अन्य, [1973] 1 एससीसी 194: एआईआर 1973 एससी 303 लेकिन तब यह एक ऐसा मामला था जहां एक कार्यकारी आदेश था। पारित किया गया जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के संदर्भ में राज्य के अधिकार क्षेत्र में था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि बेंच ने यह जोड़ने में जल्दबाजी की:

"11. हमें इस प्रश्न पर कोई सामान्य प्रस्ताव देने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि प्रश्नगत आदेश ने पहले

प्रतिवादी को आदेश में निर्दिष्ट तरीके से अपना वेतन निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया है और वह इसका हिस्सा था उसकी सेवा की शर्तें। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि न्यायालय उस अधिकार को लागू न करे।"

31. इसलिए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।